भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4242
दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हानिकारक गैस और रसायनों का रिसाव

4242. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 10 वर्षों के दौरान देश में हानिकारक गैसों और रसायनों के रिसाव की राज्य-वार कितनी घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) इन त्रासदियों से हुई मौतों सहित कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा पीड़ितों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है और इन रिसाव के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/समूहों पर सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले 10 वर्षों में हानिकारक गैस और रसायनों के रिसाव की घटनाओं की संख्या तथा इनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या और मौतों का विवरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

(ग): केंद्र सरकार ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1992 को अधिसूचित किया है, जिसमें परिसंकटमय पदार्थों का हथालन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए एक ऐसी बीमा पॉलिसी लेने का अधिदेश है,

जिसमें ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के हथालन के दौरान हुई दुर्घटनाओं से प्रभावित तीसरे पक्ष को चोट/मृत्यु या संपत्ति के नुकसान के लिए और इससे जुड़े या इसके आकस्मिक मामलों के लिए मुआवजा देने के लिए कानूनी दायित्व शामिल है। संबंधित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कोई बीमा पॉलिसी नहीं लिए जाने की स्थिति में केंद्र सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 2008 में एक पर्यावरण राहत कोष (ईआरएफ) भी बनाया है।

सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 बनाया है जिसमें इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया गया है। कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों के अधिभोगियों और प्रबंधकों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, राज्य सरकारों के सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। हानिकारक गैस और रसायनों के रिसाव की घटना के संबंध में ऐसे अभियोजन और दोषसिद्धि के विवरण के बारे में का अलग से डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि वर्ष 2013 से 2022 के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-ए के तहत अभियोजन का विवरण अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

i. कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, खतरनाक प्रक्रियाओं, काम के घंटों, दंड और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं।

ii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अप्रैल, 2007 में रासायनिक आपदाओं (औद्योगिक) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

iii. एनडीएमए ने मई, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) भी जारी की थी (जिसे 2019 में अद्यतन किया गया) ताकि रासायनिक (औद्योगिक) सहित विभिन्न खतरों के आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य सरकारों सहित हितधारकों की सहायता की जा सके। यह योजना आपदा प्रबंधन के सभी चरणों अर्थात रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और रीकवरी के लिए सरकारी एजेंसियों को एक फ्रेमवर्क और दिशा प्रदान करती है।

iv. इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी नियम, 1989) और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 को भी अधिसूचित किया है। औद्योगिक गतिविधियों से रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने, संबंधित प्रभावों को कम करने और केंद्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर चार स्तरीय प्रणाली के साथ संकट प्रबंधन को वैधानिक बैकअप प्रदान करने के उद्देश्य से इन नियमों को अधिसूचित किया गया था। राज्य मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) (कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत नियुक्त) खतरनाक रसायनों और अंतर-राज्यीय पाइपलाइनों सहित पाइपलाइनों से डील करने वाले कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आइसोलेटिड भंडारणों के संबंध में निर्देशों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसियां हैं। इसी प्रकार, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आइसोलेटिड भंडारण स्थलों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।.

v. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने "रसायन एवं पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर में पहचान की गई सभी प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के लिए रासायनिक सुरक्षा और संरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जोखिम को कम करना है।

vi. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में एमएसआईएचसी नियम, 1989 के अंतर्गत आने वाले आइसोलेटिड भंडारण और उद्योगों के संबंध में रसायन सुरक्षा के लिए एकीकृत मार्गदर्शन फ्रेमवर्क विकसित किया है। जनवरी-2022 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को यह फ्रेमवर्क परिचालित किया गया। यह पाये जाने पर कि उद्योगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो एकीकृत मार्गदर्शन फ्रेमवर्क में औद्योगिक और रासायनिक स्थलों का नियमित निरीक्षण करने, स्थल पर आपातकालीन योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने, सुरक्षा ऑडिट करने और अन्य हितधारक एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने का प्रावधान है।

अनुलग्नक-I

राज्य	गैसों/रसायनों के रिसाव की घटनाओं की संख्या	मृत्यु	चोट लगने की घटनाएं
वर्ष 2013			
पंजाब	1	--	--
तमिलनाडु	1	--	--
तेलंगाना	6	6	1
उत्तर प्रदेश	5	5	--
वर्ष 2014			
छत्तीसगढ	1	2	--
आंध्र प्रदेश	1	16	20
मध्य प्रदेश	1	--	--
पंजाब	2	--	--
तमिलनाडु	1	--	--
तेलंगाना	6	--	7
पश्चिम बंगाल	2	4	22
वर्ष 2015			
अरुणाचल प्रदेश	1	--	--
असम	1	--	11
दिल्ली	5	4	7
गुजरात	12	7	24
हरियाणा	1	--	--
हिमाचल प्रदेश	1	--	3
झारखंड	3	--	18
मध्य प्रदेश	3	--	3
महाराष्ट्र	2	1	--
पंजाब	1	6	100
राजस्थान	1	--	--
तमिलनाडु	2	9	--
तेलंगाना	18	29	33
उत्तर प्रदेश	5	12	29

पश्चिम बंगाल	2	--	--
वर्ष 2016			
असम	1	--	--
दिल्ली	1	2	--
गुजरात	10	18	--
महाराष्ट्र	6	17	165
ओडिशा	1	--	--
राजस्थान	5	14	1
तेलंगाना	26	33	17
उत्तर प्रदेश	1	1	--
वर्ष 2017			
दिल्ली	1	--	475
गुजरात	2	1	--
महाराष्ट्र	4	2	1
ओडिशा	4	3	9
राजस्थान	6	22	20
तमिलनाडु	1	--	--
तेलंगाना	17	9	12
उत्तर प्रदेश	1	-	200
पश्चिम बंगाल	3	6	8
वर्ष 2018			
असम	9	--	---
बिहार	1	1	---
गुजरात	8	15	15
महाराष्ट्र	2	1	11
तेलंगाना	10	9	16
उत्तर प्रदेश	2	2	--
वर्ष 2019			
असम	5	--	---
गुजरात	30	27	--
कर्नाटक	1	1	--
महाराष्ट्र	6	4	2

ओडिशा	1	--	--
तेलंगाना	9	7	11
वर्ष 2020			
आंध्र प्रदेश	4	14	4018
असम	4	3	2
गुजरात	39	46	26
महाराष्ट्र	8	6	6
तमिलनाडु	2	12	23
तेलंगाना	21	11	23
वर्ष 2021			
आंध्र प्रदेश	1	--	--
असम	2	--	--
गुजरात	25	42	35
जम्मू और कश्मीर	1	--	--
केरल	1	--	--
महाराष्ट्र	10	32	19
तमिलनाडु	3	32	60
तेलंगाना	9	1	2
उत्तर प्रदेश	6	4	14
वर्ष 2022			
असम	5	---	---
गोवा	1	3	--
गुजरात	10	32	18
राजस्थान	1	6	1
उत्तर प्रदेश	5	4	1
वर्ष 2023			
असम	2	--	--
गोवा	1	1	--
गुजरात	24	23	30
उत्तर प्रदेश	3	1	2

अनुलग्नक-II

धारा 92 और 96ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2013-2022)

धारा 92 और 96ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2013)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2013					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**	**	**	**	**	**
2	आंध्र प्रदेश	4831	1216	886	525	**	4360750
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
4	असम	31	17	**	**	**	**
5	बिहार	81	33	**	**	**	**
6	चंडीगढ़	**	**	**	**	**	**
7	छत्तीसगढ	1030	529	331	100	9	15516150
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	**	**	**	**	**	**
9	दिल्ली	233	22	166	166	**	158900
10	गोवा	42	15	8	7	**	208500
11	गुजरात	8921	2047	382	137	**	2669800
12	हरियाणा	8032	4712	4686	2398	**	**
13	हिमाचल प्रदेश	208	96	57	57	**	445550
14	जम्मू और कश्मीर	**	**	**	**	**	**
15	झारखंड	223	42	3	**	**	**
16	कर्नाटक	450	199	109	48	1	1623911
17	केरल	96	66	38	32	**	516750
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3177	150	99	**	**	2629000
20	महाराष्ट्र	1119	910	791	791	**	13693500
21	मणिपुर	**	**	**	**	**	**
22	मेघालय	**	**	**	**	**	**
23	मिजोरम	*	*	*	*	*	*

24	नागालैंड	**	**	**	**	**	**
25	ओडिशा	1812	162	54	6	**	25000
26	पुदुचेरी	8	4	10	10	**	795000
27	पंजाब	1121	119	183	15	**	24269500
28	राजस्थान	991	66	107	103	1	1715000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	9836	4054	3591	2560	3	23393390
31	तेलंगाना	*	*	*	*	*	*
32	त्रिपुरा	12	9	6	6	**	13000
33	उत्तर प्रदेश	**	**	**	**	**	**
34	उत्तराखंड	91	44	2	**	**	100000
35	पश्चिम बंगाल	338	118	103	103	**	2096500
कुल		**42683**	**14630**	**11612**	**7064**	**14**	**94230201**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) **: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2014)

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2014**					
		अभियोजन की संख्या				**लगाया गया दण्ड**	
		पिछले वर्ष से लंबित	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए**	**वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया**	**दोषसिद्धि की संख्या**	**कैद**	**लगाया गया कुल दण्ड**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	2068	546	431	303	#	4276500
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
4	असम	48	10	#	#	#	#
5	बिहार	114	34	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#

7	छत्तीसगढ	1228	674	272	82	6	17186000
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	89	88	53	53	#	582000
10	गोवा	25	15	15	10	#	175900
11	गुजरात	28989	2430	633	223	#	4174450
12	हरियाणा	8795	10242	7498	5905	#	14923450
13	हिमाचल प्रदेश	247	195	73	73	#	511500
14	जम्मू और कश्मीर	139	17	5	#	#	50000
15	झारखंड	356	34	1	#	#	#
16	कर्नाटक	598	310	112	98	#	2239000
17	केरल	129	57	42	37	#	855000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3228	165	146	#	#	3090800
20	महाराष्ट्र	1238	745	473	473	#	8847500
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	*	*	*	*	*	*
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	1920	172	#	#	#	#
26	पुदुचेरी	2	10	9	9	#	520000
27	पंजाब	1057	109	80	50	#	877300
28	राजस्थान	950	44	61	58	#	529000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	9420	4003	2374	3276	7	26051050
31	तेलंगाना	1814	793	886	385	#	3454700
32	त्रिपुरा	16	5	10	10	#	64000
33	उत्तर प्रदेश	1995	53	292	35	#	1024500
34	उत्तराखंड	133	43	31	#	#	710000
35	पश्चिम बंगाल	355	101	68	68	#	2161500
कुल		**64953**	**20895**	**13565**	**11148**	**13**	**92304150**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया ।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2015)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2015					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**	**	**	**	**	**
2	आंध्र प्रदेश	2145	456	615	591	**	5171000
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
4	असम	58	9	**	**	**	**
5	बिहार	148	15	**	**	**	**
6	चंडीगढ़	**	**	**	**	**	**
7	छत्तीसगढ	1632	499	549	365	१३	22041100
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	**	**	**	**	**	**
9	दिल्ली	124	63	27	27	**	322000
10	गोवा	24	5	9	8	**	170000
11	गुजरात	30786	1733	1498	1199	**	10245900
12	हरियाणा	9585	5963	5136	3728	**	14742100
13	हिमाचल प्रदेश	369	94	113	113	**	1401700
14	जम्मू और कश्मीर	151	39	23	4	**	228000
15	झारखंड	389	47	**	**	**	**
16	कर्नाटक	718	175	**	**	**	**
17	केरल	219	73	48	38	**	898000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3213	169	147	**	**	3100800
20	महाराष्ट्र	1238	632	599	599	**	11662500
21	मणिपुर	**	**	**	**	**	**
22	मेघालय	**	**	**	**	**	**
23	मिजोरम	**	**	**	**	**	**
24	नागालैंड	**	**	**	**	**	**

25	ओडिशा	2150	157	18	18	**	3410000
26	पुदुचेरी	3	10	11	11	**	507000
27	पंजाब	1086	121	143	11	1	901500
28	राजस्थान	933	22	31	31	**	182000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	11049	4138	3450	3448	12	24613200
31	तेलंगाना	2634	1412	645	677	**	5682800
32	त्रिपुरा	10	3	4	3	**	21000
33	उत्तर प्रदेश	2041	82	52	51	**	1230000
34	उत्तराखंड	145	44	5	**	**	81000
35	पश्चिम बंगाल	388	26	6	6	**	251000
कुल		**71238**	**15987**	**13318**	**11095**	**27**	**110925200**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) **: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2016)

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2016**					
		अभियोजन की संख्या				**लगाया गया दण्ड**	
		पिछले वर्ष से लंबित	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए**	**वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया**	**दोषसिद्धि की संख्या**	**कैद**	**लगाया गया कुल दण्ड**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1991	463	616	582	#	8984000

3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
4	असम	30	49	#	#	#	#
5	बिहार	163	3	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	1582	387	241	211	4	15421800
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	160	90	53	53	#	698500
10	गोवा	17	6	5	5	#	140000
11	गुजरात	30786	1637	1198	1166	#	10424600
12	हरियाणा	8617	2986	2419	1675	#	6995950
13	हिमाचल प्रदेश	350	89	61	61	#	735700
14	जम्मू और कश्मीर	167	45	36	36	#	167000
15	झारखंड	351	44	1	#	#	100000
16	कर्नाटक	704	122	179	162	#	3031000
17	केरल	141	44	51	45	#	801250
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3235	119	17	#	#	41500
20	महाराष्ट्र	1271	584	421	421	#	8072500
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2289	93	11	#	#	330000
26	पुदुचेरी	#	6	4	2	#	144000
27	पंजाब	1064	52	54	12	#	686000
28	राजस्थान	924	43	21	21	#	121000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	11737	2669	3189	2989	18	28012100
31	तेलंगाना	3194	398	199	199	3	3302500
32	त्रिपुरा	10	9	5	5	#	385000
33	उत्तर प्रदेश	2134	114	23	#	#	770000
34	उत्तराखंड	123	37	4	#	#	714000

35	पश्चिम बंगाल	408	25	24	23	#	1163000
कुल		**71448**	**10114**	**8832**	**7668**	**25**	**91241400**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2017)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2017					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1481	405	510	379	#	5608000
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*
4	असम	79	14	8	2	#	#
5	बिहार	166	3	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	1728	282	183	172	#	23849000
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	197	150	41	41	#	887000
10	गोवा	21	7	6	5	#	130000
11	गुजरात	31460	1515	1639	1580	#	13697500
12	हरियाणा	7694	1945	1932	1668	#	5999500
13	हिमाचल प्रदेश	378	110	69	69	#	1102000
14	जम्मू और कश्मीर	132	32	68	68	#	262865
15	झारखंड	354	30	3	#	#	#
16	कर्नाटक	632	149	129	114	#	2656500

17	केरल	136	60	47	40	#	732000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3337	154	11	#	#	506500
20	महाराष्ट्र	584	424	475	475	#	6054000
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2371	91	4	#	#	410000
26	पुदुचेरी	4	13	13	#	#	520000
27	पंजाब	1062	293	199	17	#	1193600
28	राजस्थान	912	39	19	19	#	132800
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	11217	2367	2304	1720	#	22041675
31	तेलंगाना	2708	255	51	45	#	657500
32	त्रिपुरा	14	#	4	1	#	500
33	उत्तर प्रदेश	2280	244	98	#	#	3578000
34	उत्तराखंड	105	21	#	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**69052**	**8603**	**7813**	**6415**	**0**	**90018940**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया ।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2018)

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2018**					
		अभियोजन की संख्या			**दोषसिद्धि की संख्या**	**लगाया गया दण्ड**	
		पिछले वर्ष से लंबित	**वर्ष के दौरान शुरू**	**वर्ष के दौरान जिनका**		**कैद**	**लगाया गया कुल दण्ड**

			किए गए	निर्णय किया गया			
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**	**	**	**	**	**
2	आंध्र प्रदेश	1290	170	226	166	**	3721000
3	अरुणाचल प्रदेश	**	**	**	**	**	**
4	असम	93	29	**	**	**	**
5	बिहार	169	42	**	**	**	**
6	चंडीगढ़	**	**	**	**	**	**
7	छत्तीसगढ	1827	186	121	31	**	9678000
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	**	**	**	**	**	**
9	दिल्ली	250	72	40	40	**	805000
10	गोवा	20	5	7	5	**	134000
11	गुजरात	30263	1954	17674	1351	**	11172100
12	हरियाणा	4049	2543	1216	792	**	3789200
13	हिमाचल प्रदेश	419	95	87	87	**	1684500
14	जम्मू और कश्मीर	117	**	75	**	**	**
15	झारखंड	290	24	2	1	**	**
16	कर्नाटक	683	184	183	84	**	2819200
17	केरल	154	68	33	37	**	883500
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	**	*
19	मध्य प्रदेश	3480	160	16	**	**	887000
20	महाराष्ट्र	1687	598	268	250	**	5666000
21	मणिपुर	**	**	**	**	**	**
22	मेघालय	**	**	**	**	**	**
23	मिजोरम	**	**	**	**	**	**
24	नागालैंड	**	**	**	**	**	**
25	ओडिशा	2458	85	1	**	**	10000
26	पुदुचेरी	4	6	5	**	**	194000
27	पंजाब	1156	258	288	50	**	1364000
28	राजस्थान	300	35	24	24	**	278000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	11280	1863	1917	1877	**	19085300

31	तेलंगाना	3191	770	90	90	**	396500
32	त्रिपुरा	10	13	6	**	**	54000
33	उत्तर प्रदेश	2134	244	98	98	**	3578000
34	उत्तराखंड	126	16	126	**	**	**
35	पश्चिम बंगाल	423	41	17	17	**	1713000
कुल		**65873**	**9461**	**22520**	**5000**	**0**	**67912300**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) **: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2019)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1234	196	115	96	#	1022000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	122	11	#	#	#	#
5	बिहार	211	32	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	219	312	167	117	#	14744499
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	262	48	104	104	#	1109000
10	गोवा	16	3	6	5	#	118500
11	गुजरात	15346	2922	1623	1871	#	15098580
12	हरियाणा	6850	6108	2883	1944	#	15698600

13	हिमाचल प्रदेश	427	147	119	119	#	1270000
14	जम्मू और कश्मीर	42	18	34	#	#	108400
15	झारखंड	353	27	3	#	#	#
16	कर्नाटक	610	247	161	115	#	3067600
17	केरल	190	57	46	52	1	1272000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3639	144	16	#	#	1588000
20	महाराष्ट्र	2115	636	300	300	#	8283000
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2542	69	5	3	#	34000
26	पुदुचेरी	5	13	8	#	#	258000
27	पंजाब	1126	29	53	22	#	816000
28	राजस्थान	280	28	25	#	#	203300
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	11226	1830	2129	2113	3	28789300
31	तेलंगाना	1806	388	458	238	#	1746000
32	त्रिपुरा	8	8	2	#	#	17000
33	उत्तर प्रदेश	2354	58	48	48	#	1206500
34	उत्तराखंड	16	23	20	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**50999**	**13354**	**8325**	**7147**	**4**	**96450279**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2020)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**	**	**	**	**	**
2	आंध्र प्रदेश	1281	256	18	8	**	317000
3	अरुणाचल प्रदेश	**	**	**	**	**	**
4	असम	133	5	**	**	**	**
5	बिहार	243	20	**	**	**	**
6	चंडीगढ़	**	**	**	**	**	**
7	छत्तीसगढ	364	204	108	98	**	4554501
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	**	**	**	**	**	**
9	दिल्ली	206	30	33	33	**	70000
10	गोवा	12	1	1	**	**	**
11	गुजरात	16397	1466	379	379	**	3615800
12	हरियाणा	9157	2180	912	598	**	3522500
13	हिमाचल प्रदेश	427	44	**	**	**	**
14	जम्मू और कश्मीर	26	16	10	10	**	49000
15	झारखंड	369	11	1	#	**	**
16	कर्नाटक	694	103	83	27	8	1172000
17	केरल	197	33	24	14	**	246000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	2112	98	4	**	**	114000
20	महाराष्ट्र	2481	405	226	224	**	6408000
21	मणिपुर	**	**	**	**	**	**
22	मेघालय	**	**	**	**	**	**
23	मिजोरम	**	**	**	**	**	**
24	नागालैंड	**	**	**	**	**	**

25	ओडिशा	2606	77	**	**	**	**
26	पुदुचेरी	5	4	4	**	**	**
27	पंजाब	1102	9	16	2	1	256700
28	राजस्थान	283	31	4	**	**	60000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	10927	2231	1089	1067	1	10242500
31	तेलंगाना	2668	184	111	98	**	1840000
32	त्रिपुरा	4	**	**	**	**	**
33	उत्तर प्रदेश	2391	70	5	5	**	194000
34	उत्तराखंड	19	12	19	**	**	**
35	पश्चिम बंगाल	**	**	**	**	**	**
कुल		**54104**	**7490**	**3047**	**2563**	**10**	**32662001**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) **: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2021)

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2021**					
		अभियोजन की संख्या				**लगाया गया दण्ड**	
		पिछले वर्ष से लंबित	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए**	**वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया**	**दोषसिद्धि की संख्या**	**कैद**	**लगाया गया कुल दण्ड**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1562	602	215	215	#	3459500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	#	#	#	#	#
5	बिहार	263	30	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#

7	छत्तीसगढ	460	178	181	104	#	15861000
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	203	32	15	32	#	159000
10	गोवा	17	6	3	2	#	60000
11	गुजरात	17484	2312	1376	1285	#	13022500
12	हरियाणा	8146	3120	2541	1823	#	7302500
13	हिमाचल प्रदेश	471	26	34	34	#	623000
14	जम्मू और कश्मीर	31	17	7	7	#	20000
15	झारखंड	367	16	1	#	#	#
16	कर्नाटक	714	88	80	30	6	1172000
17	केरल	207	31	37	26	2	683500
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	2206	91	30	#	#	1554000
20	महाराष्ट्र	2429	547	412	83	#	5675500
21	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
22	मेघालय	#	#	#	#	#	#
23	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
24	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
25	ओडिशा	2683	60	3	#	#	#
26	पुदुचेरी	5	8	7	#	#	440000
27	पंजाब	#	#	#	#	#	#
28	राजस्थान	310	22	7	#	#	655000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	7559	1682	1335	1297	#	12149000
31	तेलंगाना	2825	179	144	72	#	1935000
32	त्रिपुरा	8	1	2	2	#	11000
33	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
34	उत्तराखंड	12	20	19	#	#	#
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**47984**	**9068**	**6449**	**5012**	**8**	**64782500**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

धारा 92 और 96 ए के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि (2022)

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2022					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	लगाया गया दण्ड	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान शुरू किए गए	वर्ष के दौरान जिनका निर्णय किया गया		कैद	लगाया गया कुल दण्ड
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**	**	**	**	**	**
2	आंध्र प्रदेश	1925	269	168	137	**	2526000
3	अरुणाचल प्रदेश	**	**	**	**	**	**
4	असम	22	26	**	**	**	**
5	बिहार	273	34	**	**	**	**
6	चंडीगढ़	**	**	**	**	**	**
7	छत्तीसगढ	457	238	238	144	**	19198000
8	दमन, दीव और दादर नगर हवेली	**	**	**	**	**	**
9	दिल्ली	220	30	49	49	**	614000
10	गोवा	22	2	2	1	**	50000
11	गुजरात	14619	2806	3890	1497	**	22444000
12	हरियाणा	6814	4787	3256	1946	**	10924200
13	हिमाचल प्रदेश	**	**	**	**	**	**
14	जम्मू और कश्मीर	41	13	**	**	**	**
15	झारखंड	412	33	2	**	**	**
16	कर्नाटक	613	194	155	86	10	3311100
17	केरल	216	22	45	37	**	811000
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*

19	मध्य प्रदेश	2267	118	44	**	**	3069000
20	महाराष्ट्र	2546	481	457	377	**	14526000
21	मणिपुर	**	**	**	**	**	**
22	मेघालय	**	**	**	**	**	**
23	मिजोरम	**	**	**	**	**	**
24	नागालैंड	**	**	**	**	**	**
25	ओडिशा	2740	80	4	**	**	**
26	पुदुचेरी	6	1	1	**	**	90000
27	पंजाब	**	**	**	**	**	**
28	राजस्थान	325	20	13	4	**	15000
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	7906	2688	1872	1858	**	23124250
31	तेलंगाना	2704	182	111	62	**	2605000
32	त्रिपुरा	8	4	4	2	**	90000
33	उत्तर प्रदेश	**	**	**	**	**	**
34	उत्तराखंड	13	19	19	**	**	**
35	पश्चिम बंगाल	**	**	**	**	**	**
कुल		**44149**	**12047**	**10330**	**6200**	**10**	**103397550**

स्रोत: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीएफएएसएलआई द्वारा डेटा एकत्र किया गया।

टिप्पणी(i) *: इस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) **: सीआईएफ/एनआईएल डेटा द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

*****